संख्या-02 /2018/1127/12-4-17-412/2017

प्रेषक,

यतीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनॉक : 24 अप्रैल, 2018**

विषय :- स्व0 श्रीनिवास शर्मा, सेवानिवृत्त सांख्यिकीय निरीक्षक, जनपद आगरा की चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस0-1115, दिनॉक 25-08-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 श्रीनिवास शर्मा, सेवानिवृत्त सांख्यिकीय निरीक्षक, जनपद आगरा का प्रदेश के बाहर इन्द्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल, नई दिल्ली में दिनॉक 24-02-2016 से दिनॉक 16-03-2016 तक करायी गयी चिकित्सा में व्यय हुई कुल धनराशि रु0 14,15,359/- (रूपये चौदह लाख पन्द्रह हजार तीन सौ उनसठ मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है तथा यदि इस निमित्त कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रस्ताव से संबंधित प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

4- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 के लेखा शीर्ष "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402-दिनॉक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारयिों तथा उनके आश्रितो की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

(यतीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या-02/2018/1127( )/12-4-2017, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
(3) कोषाधिकारी, आगरा / जिलाधिकारी, आगरा।
(4) अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3,
(6) श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी स्व0 श्रीनिवास शर्मा निवासी 1422, सेक्टर-7, अवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in